श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप चाहते हैं कि बिना आपकी इजाजत के ही लोग बोलना शुरू करें ? आपके आश्वासन पर मैं बैठा हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप की इजाजत से बोलूं...(व्यवधान) दुर्भाग्य यह है कि जो पहले के स्पीकर का हाल था वही आपका हाल होगा।

अध्यक्ष महोदय : जो मेरा होगा वह आज तक किसी स्पीकर का हुआ नहीं होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : आपने लिखने के लिए कहा, वह मैंने लिखकर भी दिया। जबानी भी कहा। आप का आश्वासन था कि आप मुझे टाइम देंगे।

Statement of Facts Relating to the Death of Shri Lal Bahadur Shastri

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (SHRI K. C. PANT) : I beg to lay on the Table a statement of facts relating to the death of late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri. [*Placed in Library. See* No. LT-4623/70].

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : This should have been placed on the Table of the House earlier. Even now there should be time to discuss it because it is such an important matter.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस 8 नं० के आइटम के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज सदन की बैठक समाप्त हो रही है। यह मामला महत्वपूर्ण है। सारे देश में इसके बारे में जनता में एक असंतोष है। मंत्री महोदय ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में जो विवरण पेश करना था वह सदन की बैठक के चलते पेश नहीं किया। अगर वह पेश करते तो सदन को उस पर चर्चा करने का मौका मिलता। अब आज आखिरी दिन एकतरफा विवरण रखा जा रहा है और हमें उस पर चर्चा करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि या तो आप मन्त्री महोदय को यह विवरण रखने से रोकें या सदन की बैठक कल बुलाएं ताकि हमें इस पर चर्चा करने का मौका मिले।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने इसी सत्र में तीन चार बार आप से अनुरोध किया था...

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : क्या लिख कर के दिया है इन्होंने अध्यक्ष महोदय ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूं ? मैं यह कह रहा था कि इसी सत्र के दौरान तीन चार बार मैंने आपसे अनुरोध किया था कि सरकार जिस दिन सत्र समाप्त होने लगेगा, उस दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से संबंधित कागजात को सभा के पटल पर रखेगी। ताकि उस पर बहस न हो सके और हम कुछ कह न सकें। आज आपने देखा कि एक रहस्य उनकी मृत्यु का था और दूसरा रहस्य अब यह बन गया कि सरकार ने अंतिम दिन यह कागजात रखे हैं। जब कि आप जानते हैं कि सारे दिन के कार्यक्रम की सूची आपके द्वारा पहले से नियत की जा चुकी है।

मैं इस संबंध में श्री कृष्ण चन्द्र पन्त से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो कागजात उन्होंने यहां पर रखे हैं उनके बारे में। मैं चाहूंगा कि वह उनका स्पष्टीकरण दें ताकि सदन को और देश को भी इन तथ्यों के बारे में जानकारी हो सके।

एक स्पष्टीकरण मैं यह चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के ताशकंद जाने से पहले

डी०आइ०जी० इंटेलिजेंस, श्री जी० सी० दत्त जो शास्त्री जी के निवास स्थान की व्यवस्था देखने के लिए गये थे और उन्होंने भारत सरकार को ताशकंद से तार दिया था कि श्री कौल ने जो व्यवस्था की है मैं उस से संतुष्ट नहीं हूँ, क्या जो कागजात रखे जा रहे हैं उनमें श्री जी० सी० दत्त का वह तार भी है या नहीं जो उन्होंने वहां से दिया था ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री जी०सी० दत्त को जिस दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई इसके एक दिन पहले ताशकंद से हटा दिया गया था, यह भी वास्तविकता है या नहीं ?

तीसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो दो डाक्टरी रिपोर्ट हैं, एक भारत सरकार ने रिपोर्ट प्रकाशित की है और एक रशियन सरकार ने प्रकाशित की है । एक पर सात डाक्टरों के हस्ताक्षर हैं जो भारत सरकार ने प्रकाशित की है और जो रशियन एम्बैसी से प्रकाशित हुइ है उन पर नौ डाक्टरों के हस्ताक्षर हैं जो तीन लाख की संख्या में छाप कर दिल्ली और उसके आस पास बांटी गई । इन दोनों रिपोर्टों में अन्तर क्यों हैं ? और भारत सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें रशियन लेडी डाक्टर श्रीमती यरमैनको के हस्ताक्षर हैं या नहीं ?

अगली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि डेथ सर्टिफिकेट जो किसी व्यक्ति के संबंध में होती है, शास्त्री जी की मृत्यु के सम्बन्ध में डेथ सर्टिफिकेट अब तक भारत सरकार ने या रशियन गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिया है ?

जिस समय उनके शव को स्नान कराया जा रहा था तो देखा गया उन का पेट त्रिकोण में चिरा हुआ था और उस पर टांके लगाये हुए थे । इनका कहना यह हैं कि...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुन लीजिये, अगर आप को कोई अनुचित बात दिखाई दे तो आप मुझे रोक सकते हैं । लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर इन सारी बातों का स्पष्टीकरण वह कर सकेंगे तो मुझे संतोष होगा । तो पेट पर जो टांके लगाये गये थे उसके बारे में कहा यह गया कि उनके शरीर को सड़ने से बचाने के लिए इस प्रकार पेट फाड़ कर उस में दवा भरी गई । जब कि डाक्टरों का कहना हैं कि शरीर को सड़ने से बचाने के लिए इस प्रकार से पेट फाड़ कर दवा भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती । यह तो केवल आंतों को साफ करने के लिए इस प्रकार की आवश्यकता होती है । शास्त्री जी बहुत सीधे सादे खाने वाले व्यक्ति थे वह अपने साथ अपना रसोइया रामनाथ को ले गये थे । मै जानना चाहता हूं कि फिर उसके बाद इस की क्या आवश्यकता पड़ी कि श्री टी० एन० कौल के रसोइये जान मुहम्मद को मास्को से वहां भेजा गया ?

सरदार स्वर्ण सिंह ने जब इस हाउस में वक्तव्य दिया था तो अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि उनके पलंग के पास में बजर टेलीफोन और बजाने की घन्टी थी जो कि वास्तविकता के सर्वथा विपरीत था । फिर शास्त्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री ने यह कहा है कि मरने से पहले उन्होंने फ्लास्क की ओर संकेत किया । पता नहीं...(व्यवधान)

13.00 hrs.

MR. SPEAKER : All these things can be discussed when time is allotted for a debate. It is not a debate now. All these things can be brought into the debate at the time when a regular debate is allowed. Now, papers to be laid Mr. Shinde.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हमारी सब से बड़ी शिकायत यह है कि यह चीज पहले रखी गई होती...

श्री तुलशी दास जाधव (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । जब कोई स्टेटमेंट यहां रखा जाता है तो उसके बाद उस पर डिस्कशन मांगा जाता हैं । अगर शास्त्री जी इस तरह से उस पर बोलने लग

[श्री तुलशी दास जाधव]

जायेंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे। मेरा कहना है कि स्टेटमेंट रखने के बाद उस पर चर्चा मांगना हो तो मांगें, लेकिन अभी परमीशन न दें।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह कन्ट्रोवर्शियल है, वन-साइडड पिक्चर है।

MR. SPEAKER : You can ask questions about delay and other things, but if you want to go into the detailed discussion of the merits, that can be taken up only during a regular debating hour.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान की प्रैस्टिज का सवाल है, आसान सवाल नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां मारे गये, उस की जांच भी न हो, ऐसा नहीं चल सकता...

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप पुराने मेम्बर हैं, यह गलत बात है। मैंने समझा था कि आप कोई प्रोसीजरल बात उठायेंगे...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो स्पष्टीकरण चाहता हूं। स्पष्टीकरण की अनुमति तो आप को देनी चाहिये। मेरी केवल दो बातें रह जाती हैं...

MR. SPEAKER : It is a question between members and the Government to ask for the debate. I am concerned with the procedure to be followed. (*Interruptions*) I think I will need a number of aspirins today. It is a regular headache for me.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रधान मन्त्री की हत्या से सम्बन्धित मामला है। मैं आपको कहता हूं कि आप इस चीज को मामूली समझ कर मत छोड़िये, हमारी बात सुनिये...(व्यवधान)...

MR. SPEAKER : I thought you will raise some procedural or technical objections. I did not allow you to have a regular debate on this. I am very sorry.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ लोगों को बचाने का यत्न कर रहे हैं। हमारी बात सुन लीजिये, इतने बड़े रहस्य पर पर्दा मत डलवाइये। जिस तरह से सरकार ने इसे टेबिल पर रखा है—आप हमारी बात सुन लीजिये, आप इस समय इन के सहायक हो रहे हैं...

MR. SPEAKER : I am not allowing you more time. Kindly resume your seat. Papers to be laid Mr. Annasahib Shinde.

Notification under Essential Commodities Act

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : On behalf of Shri Annasahib Shinde, I beg to lay on the Table a Copy of Notification No. G.S.R. 1987 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 3rd December, 1970 rescinding the Andhra Pradesh Coarse Grains (Export Control) Order, 1965 published in Notification No. G.S.R. 88 dated the 5th January, 1965, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT-4624/70].

Audit Report and Audited Accounts of Defence Services and Notifications under Income-Tax Act and Customs Act etc.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : I beg to lay on the Table :

(1) A copy of the Audit Report, Defence Services, 1970 (Hindi version) under article 151(1) of the Constitution read with sub section 3(ii) of section 3 of the Official Languages Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-4625/70].

(2) A copy of Appropriation Accounts of the Defence Services for the year 1968-69 and Commercial Appendix